



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243962
CG-DL-E-28022023-243962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]
No. 119]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

(संख्या 01/2023-स्वापक नियंत्रण-1)

सा.का.नि. 155(अ).—स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के ले राष्ट्रीय निधि) नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार, केंद्र सरकार, एतद्वारा, वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित करती है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस निधि में से धारा 7क की उप-धारा (2) के तहत वित्तपोषित क्रियाकलापों का विवरण और साथ-ही-साथ इसमें लेखा-विवरण भी दिया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

क. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निधि में से धारा 7क की उप-धारा (2) के अंतर्गत वित्तपोषित क्रियाकलाप

क्र.सं./ आवेदन सं.	स्वीकृति आदेश संख्या और दिनांक	समर्थित संगठन/गतिविधि का नाम	स्वीकृत राशि (रु.)	जारी मात्रा (रु.)
1/103	का.आ. सं. 31, दिनांक 30.03.2022	पुलिस विभाग, मिजोरम सरकार; मिजोरम सरकार के पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों के विषहरण और पुनर्वास के लिए पीटीएस में चिकित्सापरक बुनियादी सुविधा	13083900	13083900

इस वर्ष के दौरान जारी की गई कुल निधि 13083900/- रु. है

ख. एनएफसीडीए प्रमुख शीर्ष 8121.00.118.01 - वित्तीय वर्ष 2021-22 का सामान्य और आरक्षित कोष प्राप्ति और संवितरण का विवरण

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (रु.) (क)	जब्त की गई संपत्ति/अप्रयुक्त धन की बिक्री आय (रु.) (ख)	कोई भी आय (ब्याज) (रु.) (ग)	कुल प्राप्तियां (रु.) (ख+ग)=(घ)	संवितरण (रु.) (ङ)	अंत शेष (रु.) (क+घ-ङ)
2021-22	308226153	i. बिक्री से प्राप्त आय-295948 ii. वापस की गई अप्रयुक्त राशि 5305280 कुल = 5601228	10325576	15926804	13083900	311069057

[फा. सं. एन-21014/1/2020-एनसी-1]

विनोद कुमार, निदेशक (एनसी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

(No. 01/2023-Narcotics Control-1)

G.S.R. 155(E).—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2021-22 together with Statement of Accounts as under: -

A. ACTIVITIES FINANCED UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7A OUT OF THE FUND DURING THE FINANCIAL YEAR 2021-22

S.No./ Appl. No.	Sanction order No. & Date	Name of Organization/Activity supported	Amount Sanctioned (Rs.)	Amount Released (Rs.)
1/103	S.O.No.31 dated 30.03.2022	Police Department, Government of Mizoram for medical infrastructure at PTS for detoxification and rehabilitation of police personnel to Police Department, Government of Mizoram	13083900	13083900
Total Fund released during the year is Rs. 13083900/-				

B. STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01 – GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22 RECEIPT AND DISBURSEMENT

Financial Year	Opening Balance (Rs.) (A)	Sale Proceed of Forfeited property / Unutilized money (Rs.) (B)	Any Income (Interest) (Rs.) (C)	Total Receipts (Rs.) (B+C)=(D)	Disbursement (Rs.) (E)	Closing Balance (Rs.) (A+D-E)
2021-22	308226153	i. Sale Proceed-295948 ii. Refund of unutilized amount 5305280 Total=5601228	10325576	15926804	13083900	311069057

[F. No. N-21014/1/2020-NC-I]

VINOD KUMAR, Director (NC)